न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 05/2019 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवानः–

प्रार्थीगण :–

1. करसनराम पुत्र रामजी
   जाति–कलबी, निवासी–शिवनगर(डडूसन)
   तहसील–सांचोर, जिला–जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. केहरा पुत्र खंगारा,
2. रूडा पुत्र खंगारा,
3. जेता पुत्र खंगारा,
4. हरजी पुत्र खंगारा, जातियान–कलबी,
   निवासीगण–शिवनगर(डडूसन), तहसील–सांचोर, जिला–जालोर।
5. तहसीलदार सांचौर जिला–जालोर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955

<u>निर्णय</u> **दिनांक 15.02.2021**

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि मौजा प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम–शिवनगर, पटवार हल्का – बाबरला, उपखण्ड क्षेत्र– सांचौर के खेत खसरा नम्बर 697 रकबा 5.14 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि पर वर्षो से प्रार्थी खेती–बाडी करता आ रहा है। प्रार्थी को उक्त खेत, ढाणी में आने– जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।प्रार्थी के खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम– शिवनगर के खसरा नम्बर 699 रकबा 1.79 हैक्टर में से 0.062 हैक्टर भूमि पांच मीटर चौडे रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतू उपर्युक्त व सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा कोई विकल्प का रास्ता नही है। उक्त आवेदित रास्ता आगे गांव, ढाणी , शहर जाने के लिए डबाल से हाडेचा जाने वाली ग्रेवल सडक को जोडता है। उक्त रास्तें के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करनें व आने जानें का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का अन्य रास्ता नहीं है। आवेदित स्थान की भूमि से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है। लेकिन रेकर्ड में [illegible] दर्ज नही हुआ जिसका नाजायज फायदा उठाकर अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलनें से मना कर दिया है। उसके बाद आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। प्रार्थी नें गांव के मौजुज लोगों के रू– बरू समझाईश की [illegible] नहीं मानें। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए में अप्रार्थी के ग्राम–शिवनगर के खेत खसरा नम्बर 699 रकबा 1.79 हैक्टर में से 0.062 हैक्टर भूमि पांच मीटर चौडे रास्तें की अत्यन्त आवश्यकता है।जिसे संलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.25 11:55:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जाकर साथ पढा जावें। प्रार्थी के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतू स्कूल आने– जानें, खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने जानें में इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अन्यन्त आवश्यकता है। लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि से चलनें से मना कर दिया। जिससे प्रार्थी रास्ता की सुविधा के अधिकार पानें का कानूनी हकदार हैं।

तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई जवाब अप्रार्थीगण इस प्रकार है कि :–

प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 697 के लिये रास्ते की मांग की है जिसके संबंध में खसरा नम्बर 702 जो अबजी व मनुजी के नाम का गैर मुमकीन खसरा है जो कोई पहले इस नाम का व्यक्ति हुआ करते थे जो अभी कही पर भी इस नाम का आदमी नही रहा है इसलिए यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। जिसमें सरकार ने इस भूमि को सार्वजनिक मानकर अन्दर प्रार्थीगण व उनके भाईयों के व कई अडोसी–पडोसी के सहमति से खसरा नम्बर 702 में सरकारी जी.एल.आर टंकी निर्मित करवाई तथा अन्दर सरकारी पाईप लाईन लगाकर अडोस–पडोस के सैकडों घरों के लिए पीने के पानी की पाईप लाईन लगाई तथा यह भूमि सार्वजनिक भूमि है जहां सार्वजनिक टंकी है जो खसरा नम्बर 702 टंकी तक आता है तथा खसरा नम्बर 701, 703, 694, 935/964 के उतरी भाग में पुराना कदीमी रास्ता चलता है। जहां से जी.एल.आर टंकी खसरा नम्बर 702 तक रास्ता आता है। वहां से प्रार्थी का खेत बिल्कूल नजदीक है तथा रास्ता भी है। जिसके संबंध में पूर्व में हुए विवाद जिसमें तेजाराम रावणा राजपुत व करसनराम के बीच विवाद हुआ था जिसमें विवाद होने पर 29.09.2017 को थानाधिकारी सरवाना द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें करसनराम प्रार्थी के खेत तक व उससे खेत आगे तक रास्ता दर्शाया गया है जिसमें करसन स्वयं अपने खेत में रास्ता बन्द करना चाहता है इसलिए अपने खेत में रास्ता बन्द करने के लिए हमारे खेत में से होकर यह नया रास्ता प्राप्त करना चाहता है जबकि करसनराम के खेत में उसके उतरी भाग से खसरा नम्बर 703 में से होकर 702 व आगे 697 के उतरी सेढे से होकर आगे रास्ता गुजरता है जो मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

पुर्व में खसरा नम्बर 701 में से होकर सीधा 702 के उतरी भाग से होकर प्रार्थी के खेत व खसरा नम्बर 701 के भाई खातेदार 696 तक रास्ता जाता था जो प्रार्थी खसरा नम्बर 696 के खातेदार को रास्ता नही देना चाहता इसलिए भी अपने खेत में से रास्ता बन्द कर हमारे खेत में से नया रास्ता प्राप्त करना चाहता है इसलिए मौका रिपोर्ट दिनांक 27.09.2017 के अनुसार व खसरा नम्बर 702 की तरफ रास्ते आते है तथा 702 प्रार्थी के खेत के बिलकुल नजदीक पडता है जहां से प्रार्थी के खेत तक व उसके आगे प्रार्थी के खेत में से होकर रास्ता निकलता है।

रिपोर्ट तहसीलदार तलब की गई :–

तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका देखा गया, मौके पर प्रार्थी करसनराम पुत्र रामजी, जाति– कलबी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 687 रकबा 5.14 हैक्टर भूमि आयी हुई है जिसमें रहवासी ढाणी बनी हुई है। खसरा संख्या 699 राजकीय कटाण रास्ता डबाल से हाडेचा जाने वाला रास्ता खसरा संख्या 733 से लगता है खसरा संख्या 733 गैर मुमकीन रास्ता जो कि डबाल से हाडेचा जाता है उससे अप्रार्थी की ढाणी तक आते जाते है। जिससे आगे प्रार्थी की ढाणी तक आते जाते है। जिससे आगे प्रार्थी करसन के खेत में आगे जा सकते है वर्तमान में मौके पर जमीन खाली पडी है। प्रार्थी करसन के खेत खसरा संख्या 697 में आवागमन हेतु इससे कम दूरी था अन्य कोई रास्ता नजदीकी कटाण से लगता हुआ नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 697 पर पहुँचने हेतु खसरा संख्या 699 से होकर रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के अनुसार यही रास्ता सुविधाजनक एवं नजदीकतम है। अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी द्वारा [illegible] वाले रास्ते की माँग की गई है। जो आवश्यकता से अधिक है। अतः 3मीटर चौडा रास्ता ही दिया जावे।

मौका रिपोर्ट तहसीलदार सांचौर के अनुसार प्रार्थी द्वारा कहा गया [illegible] नजदीकतम एवं सुविधाजनक है मौका रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण भी इस रास्ते का उपभोग उपयोग अपनी रहवासी ढाणी तक आने जाने हेतु करते है इस प्रकार से [illegible] वाला रास्ता ना केवल खसरा नम्बर 697 बल्कि 700 एवं 699 को भी हाडेचा से डबाल जाने वाले रास्ते से जोड देगा / प्रार्थी के अनुसार 5 मीटर से छोटा रास्ता कृषि उपकरणों को खेत तक लाने में समस्या उत्पन्न करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.25 11:55:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक एवं नजदीकतम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मौका रिपोर्ट पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 699 से होकर 5 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार चाहे गये रास्ते पर कोई पक्का निर्माण आदि नही है। अतः तहसीलदार स्वीकार किये गये रास्ते की राशी की गणना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार करके 7 दिवस में पेश करें। प्रार्थी गणना अनुसार राशी का डिमांड ड्राफ्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। तदनुसार निर्णय की पालना में तहसीलदार सांचौर द्वारा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर तथा नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.02.25 11:55:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner